**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2114**

**उत्तर देने की तारीख-05/08/2024**

**क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की आवश्यकता**

**2114. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में एनईपी 2020 के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा आधारित शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में राज्य-वार कार्यरत क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों की संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(जयन्त चौधरी)**

**(क) और (ख):** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि जहां भी संभव हो, कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर होगा कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा हो। इस उद्देश्य के लिए, एनईपी 2020 में सुझाव दिया गया है कि राज्य, विशेष रूप से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के राज्य, एक-दूसरे से बड़ी संख्या में शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए द्विपक्षीय करार कर सकते हैं, ताकि एनईपी 2020 में यथा अनुशंसित त्रि-भाषा फार्मूले को अपने-अपने राज्यों में लागू किया जा सके और साथ ही देश भर में भारतीय भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सके।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। व्यापक प्रौद्योगिकी आधारित योजना और पूर्वानुमान कार्य के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती का दायित्व संबंधित राज्य सरकार/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का है।

सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में क्षेत्रीय शिक्षकों की राज्यवार संख्या का ब्यौरा https://www.education.gov.in/parl_ques पर उपलब्ध है।

*****